


23/7/2024

पत्रावली प्रेषित। गैरलायन अडिमीटर।
पत्रावली का कवलोकन किया गया। मैं
गैर लायन के विरुद्ध इन्टरगाना में पत्रों
मुकदमों करीबन 6 वर्ष पूर्व के हैं तथा
संबंधित धाना अधिकारी द्वारा इति मन्दि
में ऐसा दस्तावेज आक्षेप प्रेषित किया
है जिससे यह पता चलता है कि गैर
लायन अभी भी इन आपराधिक कृत्यों
में रत हैं तथा उन्हीं गारिविधियों या
कृत्यों से जिससे किसी व्यक्ति को नुक़ान
के मुक़दम या ख़रबा होने की
संभावना है। यही नहीं प्रकरण के
तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर
राजस्थान मुद्रा नियंत्रण अधिनियम
1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक
आधार नहीं है। जिले के आधार पर उन्हीं
जिले या उन्हीं किसी भाग हेतु बाध
कने का आदेश दिया जावे।
जिला पुलिस अधीक्षक दुरमानगढ़ द्वारा
महानिर्देश विरुद्ध गैरलायन सुभाष
पुत्र आराम पारि भैरवल निवासी

आरडकी उल्लिखित थाना नोडर फिला
एनुमानगाह की ड्रॉप (DRDP) बिधा
जारा है। पत्रावली फेकलाशुमाए ए/डए
गंभरले कम ए/डए बाबिलन वरुएए


अतिरिक्त बिला कलक्टर
अतिरिक्त बिला - विरुए
केड (अनुभवजक)